जनपद कानपुर देहात में कार्यरत् व्यावसायिक बैंको के ऋण बसूली का विश्लेषण

डॉ0 शरद कक्कड़*

बैंक द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली वित्त प्रबन्धन का महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में परिचलनात्मक अर्थ में ऋण परिचालन की सफलता का एक मात्र सूचकांक वसूली निष्पादन ही है। व्यावसयिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और विशेषकर कृषि ऋण प्रदान करने में दो विशेष प्रवृत्तियॉ रही हैं –

1. ऋण राशि के परिमाण में और ऋणदाताओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि अर्थात बैकरों द्वारा ऋणकर्ताओं तक त्वरित निधि प्रवाह।
2. ऋण का असंतोषजनक वसूली निष्पादन अर्थात ऋणकर्ताओं से बैंकर तक निधि का धीमा प्रवाह।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये ऋणों की वसूली बैकों के लिए ऐसी समस्या बन गयी है जिससे एक ओर उनके परिचालनों की व्यवहार्यता पर तथा दूसरी ओर नैतिकता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वास्तव में अतिदेय ऋणों के प्रतिभास ने बैंकरो के सामने अनुपयोज्य आस्तियों की गभ्भीर समस्या खड़ी कर दी है। वसूली समस्या उत्पन्न होने के कई कारण है जिनमें से कुछ आतंरिक है और कुछ बाह्य हैं इस समस्या को हल करने के लिए किये गये प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हुए हैं।

वसूली की समस्या एवं प्रभाव :

वसूली सभी संस्थाओं में सर्वव्यापी तथ्य है। सभी ऐजेन्सियॉ यानी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण समितियॉ और भूमि विकास बैंक अतिदेयता की समस्या से पीड़ित है। वसूली की समस्या मुख्यतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के वित्त पोषण के कारण पैदा हुई है चूँकि गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के वित्त पोषण में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का अधिक हस्तक्षेप न होने के कारण वित्त पोषण करने वाली संस्थाएं पर्याप्त प्रतिभूतियों के माध्यम से अपने को सुरक्षित कर लेती है किन्तु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का हस्तक्षेप होने के कारण तथा सरकार के सामाजिक नियंत्रण के फलस्वरूप इन संस्थाओं के समक्ष प्राथमिक वित्त पोषण से अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या खड़ी हो गयी है। इनका इन संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1. व्यावसायिक बैंकों पर प्रभाव :

ऋण संस्थाओं के लिए अतिदेयताओं के प्रतिकूल प्रभाव निम्न प्रकार है –

1. ऋण एजेन्सी की ऋण वितरण क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि वह अपनी वित्तीय संसाधनों का पुनरावर्तन नही कर सकती। अन्य उच्च वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड, सिडबी से अधिक सम्पत्ति जुटाने की क्षमता पर भी यह विपरीत प्रभाव दिखाती है। यह विशेषकर सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से समयबद्ध है क्योकि उनके अपने जमा संसाधन बहुत कम होते हैं। उनकी अल्प स्तर पर जमा एक ओर पुनर्वित्त पर उनकी अल्प स्तर पर जमा एक ओर पुनर्वित्त पर उनकी निर्भरता बढ़ाती है और साथ ही साथ कम वसूली निष्पादन नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने में उनकी क्षमता को घटाती है। क्योंकि पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए योग्यता शर्तों में वसूली कार्य निष्पादन एक महत्पूर्ण घटक है।
2. ब्याज के बकाये की वसूली, संस्थाओं की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यदि ऋण एजेन्सी अपने उधारकर्ता से ऋण का ब्याज तक वसूल नही कर सकती है तो लाभप्रदता घट जाती है और कुछ वर्षों बाद संस्था का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार द्वारा वर्तमान में आरम्भ की गयी पारदर्शिता से यह स्थिति और स्पष्ट बन गयी। नयी प्रणाली के अंतर्गत बैंको की सही वित्तीय स्थिति प्रतिविम्बित करने हेतु अतिदेय ऋणों को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में माना गया है।
3. अतिदेयताए समग्र तरलता पर धीरे–धीरे संस्थाओं की विशेषकर सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की शोधन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिनके पास संसाधनों की तंगी है और नये ऋण वितरण क्षमता को दुर्बल बना देती है। इससे अव्यवहार्यता का विषम चक्र शुरू होता है।

* **प्रवक्ता (वाणिज्य विभाग), भास्करानन्द इण्टर कालेज, नर्वल, कानपुर नगर (उ0प्र0)**

4. चूंकि खातों की निगरानी में गैर–आनुपातिक प्रबन्धन समय और मानव संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है इससे ऋण परिचालनो के लेन–देन लागतों पर अतिरिक्त परिहार्य लागतें जुड़ जाती हैं, आजकल अनुपयोज्य आस्तियों का प्रबन्धन बैंकों के लिए गम्भीर समस्या बन गयी है।
5. समयान्तर में कुछ अतिदेयतायें अशोध्य बन जाती है, इससे ऋण संस्थानों का शुद्ध–मूल्य घट जाता है। अनुपयोज्य आस्तियों का प्रभाव शाखाओं की लाभप्रदता पर पड़ता है। यदि शाखा हानिगत है, तो अनुपयोज्य आस्तियॉ हानि को और बढ़ाता है। दूसरी ओर लाभगत शाखाएं लाभ में ह्रासोन्मुख स्थिति का सामना करती है। कुछ शाखाएं लाभगत से हानिगत स्थिति में पहुॅच सकती हैं। जब अनुपयोज्य आस्तियों के ब्याज को आय के रूप में नही माना जाता है तो अवमानक या संदिग्ध या क्षयशील आस्तियों के लिए प्रवाधान रखना पड़ता है।
6. चूॅकि ऋणों के उत्पादन प्रयोजन के उपयोग से उससे प्राप्त वर्धित आय से पुर्नभुगतान की आशा की जाती है, ऋण वसूली ऋण की गुणवत्ता का भी घोतक है। अतएवं उच्च अतिदेयता ऋण की निम्न गुणवत्ता को घोतक है।
7. खराब पुर्नवियोजन, बढ़ती अनुपयोज्य आस्तियॉ और घटती व्यवहार्यता बैंकरों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वित्त पोषण ही कठिन काम है। कम वसूली इसे कठिनतर बनाती है। अतः यह उनका अभीष्ट कार्य नहीं है। कर्मचारी ऐसी तैनातियों व दायित्वों से बचना चाहते हैं।

2. ऋणी पर प्रभाव

ऋण पर भी गैर–वसूली के तीव्र प्रभाव पड़ते हैं। दो प्रमुख प्रभाव निम्न है –

1. चूककर्ता के रूप में ऋणी किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए वंचित रह जाता है। इससे उसके उत्पादन कार्य पर बुरा असर पड़ता है, वह निजी साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर हो सकता है। इससे बैंक ऋण को अदा करने की उसकी क्षमता और घट जाती है।
2. कुछ ऋणी विशेषकर धनी ऋणी द्वारा भुगतान नही किये जाने पर अन्य ऋणी जो सामान्यता नियमित रूप से ऋण अदा करना चाहते हैं, का उत्साह भंग होता है। इससे गैर–चुकता और गैर–ऋण वितरण का विषम चक्र शुरू होता है।

वसूली प्रबन्धन

अनुनयोज्य आस्तियॉ और वसूली प्रबन्धन के विश्लेषण में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है, जो निम्न है –

1. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़ी वित्तीय एजेन्सी की यह अपेक्षा बिल्कुल असम्भव सी है कि ऋणकर्ता अपनी देयताओं को निर्धारित तिथि पर अदा कर देंगे। कुछ लोग उसे समय पर अदा करने की स्थिति में नही होते हैं और कुछ लोग अदा करने में बिल्कुल असमर्थ रहतें हैं। यह स्वाभाविक है। परन्तु यह न्यूनतम रखा जाना चाहिए।
2. राशि यदि सीमा से बाहर होती है तो वह ऋण संस्थान पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अतः उसे अत्यावश्यक जानकर समय पर निपटाना चाहिए।
3. भुगतान में चूक अचानक नही होती है। बहुत पहले से ही इसका बीज बोया जाता है। कभी कभी ऋण वितरण से भी पहले। अतः इस संदर्भ में बैंकों को विशेष सतर्कता रखनी चाहिए।
4. समान ऋण नीति द्वारा सभी चूककर्ताओं से सभी अतिदेयों को वसूल नहीं किया जा सकता है। समस्या की प्रकृति और ऋणकर्ताओं के प्रकार के अनुरूप ऋणनीति बनायी जानी चाहिए। कई बार कई रणनीतियों के संयोजन से इसका समाधान मिल सकता है।

इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बैकरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वसूली प्रबन्धन रणनीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। इन नीतियों की व्यापक सूची निम्नवत् है–

1. निवारक रणनीतियॉ और अनुवर्ती कार्यवाही

समुचित मूल्य निर्धारण, प्रलेखन प्रतिभूति, गारन्टी आदि इसमे शामिल हैं। ऋण की मंजूरी, समवितरक और अंतिम उपयोग पर निगरानी के अलावा सभी ऋण एजेन्सियों में निगरानी व्यवस्था के भाग के रूप में वसूली हेतु योजनाबद्ध प्रयास आवश्यक है। सामान्यता बैंक और अन्य ऋण संस्थाए ऋण

राशि से उपजी आस्तियों की प्राथमिक प्रतिभूति यथा भूमि और अन्य अचल आस्तियों एवं गारण्टीकर्ताओं द्वारा अपने ऋणों को प्रतिभूतित कर लेते हैं। ऋण वितरणों के बाद अनुवर्ती कार्यवाही जैसे ऋण कर्ताओं के खेतों का या अन्य परिचालन क्षेत्रों का दौरा, अनुस्मारक और नोटिस भेजना, आदि भी वसूली में सहायक होते हैं। वास्तव में ऋणकर्ता से निरन्तर संपर्क में रहना वसूली की उत्तम रणनीति है। सामान्यता यह देखा जाता है कि ऋण वितरित होने तक बैंकर के पीछे ऋणकर्ता घूमता है, एवं ऋण के अतिदेय होने पर बैंकर ऋणकर्ता के पीछे घूमता है। बैंकर–ऋणकर्ता सम्बन्धों में इस तरह की व्यवस्था कभी नही होने देना चाहिए।

2. विधिक आश्रय

चूककर्ता दो तरह के होते हैं, यथार्थ चूककर्ता और जानबूझकर चूक करने वाला। और चूक भी दो प्रकार की होती है, चुकौती में देरी और चुकौती न करना।

यथार्थ चूककर्ता वह है जो ऋण को अदा करना चाहता है, लेकिन उसके नियन्त्रण से बाहर के कारणों से ऐसा नही कर सकता है। दूसरी ओर जानबूझकर चूक करने वाला ऋणकर्ता ऋण चुकाने की क्षमता रखते हुए भी ऋण नही चुकाता। सामान्यता कई चूक जानबूझकर की गयी होती है। इसके लिए बड़े–बड़े ऋणकर्ता उत्तरदायी है ऐसे जानबूझकर चुकौती नही करने वालों के प्रति ही कानूनी आश्रय लेना चाहिए।

बैंक अब व्यक्तिकर्मी ऋणकर्ताओं के प्रति कानूनी आश्रय ले सकते हैं। तथापि जब वाणिज्यिक बैंक कृषि ऋण प्रदान करने लगे, ऋणों की प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पत्ति को प्राप्त करने में उन्हें कई कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए श्री आर. के. तलवार की अध्यक्षता में वर्ष 1971 में एक समिति गठित की गई। समिति ने कृषि देयताओं पर प्रभार का सृजन और उनकी वसूली के लिए कुछ देयताओं पर प्रभार का सृजन और उनकी वसूली के लिए कुछ सुविधाओं पर विचार करते हुए एक आदर्श बिल पारित करने की सिफारिश की। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिश की कि सभी राज्य सरकार इस बिल को स्वीकार करें। अधिकांश राज्यों में सरकार ने तलवार के आदर्श बिल को अपनाया और भूमि राजस्व के बकायें के रूप में बैंकों के कृषि ऋण की वसूली के लिए कानून बनाये। इस प्रकार बैंकों ने अपने ऋणों के संरक्षण हेतु सरकार से कानूनी उपचार प्राप्त किये हैं, परन्तु कुछ राज्यों में संवैधानिक प्रक्रिया अभी लागू नही की गयी है।

अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत कई मंच गठित किये गये हैं, जहॉ वसूली से सम्बन्धित समस्याओं सहित अनेक समस्याओं की चर्चा की जा सकती है। ब्लाक स्तर पर ब्लाक स्तरीय परामर्श समिति और राज्य स्तर पर राज्यस्तरीय बैंकर समिति गठित की गयी है। इन मंचों में संयोजक बैंक वसूली समस्याओं को चर्चा हेतु कार्य सूची में शामिल कर सकता है और सरकारी सहयोग प्राप्त कर सकता है। बैंकों ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति का व्यापक उपयोग वसूली प्रयोजनों के लिए किया था।

अगस्त 1993 में बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों का वसूली विधयक 1993 पारित किये जाने के बाद विभिन्न नगरों में ऋण वसूली प्राधिकरण गठित किये गये।

3. गैर सरकारी संगठनों और स्वंय सेवी एजेन्सियों को शामिल करना :

औपचारिक वित्तीय संस्थानों के साथ कारोबार करने में गरीबों की कठिनाइयॉ सर्वविदित हैं। संगठित ऋण संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में गरीबों की क्षमता में बाधा डालने वाले प्रमुख तत्व है–

निपुणता का अभाव, आर्थिक अवसरों के बारे में अनिभिज्ञता और प्रक्रियागत आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी असमर्थता। इन तत्वों की वजह से बैंकर और ऋणकर्ता के बीच पारस्परिक विश्वास की कमी होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में गरीबों के स्वसहायता समूह और बैंकिग संस्थानों के बीच संयोजन हेतु मध्यस्थता के रूप में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की संभाव्यता का पता लगाया गया। वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा 500 स्वयं सहायक समूहों को बैंको के साथ जोड़ने की प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। सितम्बर– 1996 में 130 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के सक्रिय सहयोग से 5500 से ज्यादा स्वयं–सहायता समूहों को लगभग 100 बैंकों के साथ जोड़ा गया है।

संयोजित परियोजना पर किये गये तत्काल अध्ययनों से उत्साहजनक और अनुकूल परिणाम निकले जैसे स्वयं सहायता समूह की ऋण राशियों में वृद्धि, ऋण पद्धति में परिवर्तन यानि सदस्यों द्वारा

अनुत्पादक कार्यकलापों से उत्पादक कार्यकलापों में ऋण विनियोजन और बैंकरों और ऋणकर्ताओं के लेनदेन लागत में महत्वपूर्ण कटौती।

बैंक और स्व–सहायता समूह तथा गैर सरकारी संगठनों के बीच संयोजन से ऋण आवश्यकताओं के निर्धारण मूल्यांकन निगरानी और वसूली जैसे ऋण चक्र के कुछ कार्यमदों के विशाखन में सुविधा हुई और लाभान्वित हुए। यह ऋण वसूली कार्य निष्पादन में सुविधा हुई और लाभान्वित हुए। यह ऋण वसूली कार्य निष्पादन में सुधार करता है तथा लेन–देन की लागतों में भी कमी लाता है।

ग्रामीण गरीबों को स्व–सहायता समूहों में संगठित करनें और उनके समुचित कार्य निष्पादन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है। यदि गैर सरकारी संगठन औपचारिक ऋण संस्थाओं और गरीबों के बीच संयोजन स्थापित कर सकते है तो पात्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ ऋण के प्रभावी उपयोग और वसूली कार्य में भी अनिवार्य भूमिका निभा सकते हैं। संक्षेप में औपचारिक ऋण संस्थाओं से लेनदेन करने में गरीबों द्वारा अनुभूत समस्याओं में गैर सरकारी संगठन विवेचित और महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है और गरीबों में संवितरण और समय पर बैंको से ऋण प्राप्त करने में और उनका सामयिक उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

वसूली प्रक्रिया

वसूली के सम्बन्ध में एक तथ्य हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वसूली ऋण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और यह कार्य मूलतः ऋण परिचालन से जुड़े व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में शाखास्तरीय कर्मचारी और उसके पर्यवेक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। शाखा कर्मचारियों को कुछ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए, जिन्हें समुचित रूप से वसूली प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सके। इससे शाखा कर्मचारियों को एक टीम के रूप में आपसी सहयोग, साथ–साथ क्रमवार कार्यों की श्रृंखला के रुप में कार्य करना है। इसमें मिले जुले श्रृंखला बद्ध कई कार्य जुड़े हुए है, जिन्हे शाखा कर्मचारियों को एक दल के रूप में मिलकर निभाना चाहिये।

प्राथमिक क्षेत्र में बढती अतिदेयताओं के कारण वसूली कार्य को तुरन्त ग्रहण करना आवश्यक है। वसूली प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये जा सकते हैं। जैसे प्रत्येक बैंक को वर्तमान वर्ष को वसूली वर्ष के रूप में मानते हुए तदनुसार प्रत्येक शाखा के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। वसूली कार्य के समन्वय हेतु प्रत्येक शाखा में एक कार्यदल या वसूली दल राशि क्षेत्र मुकदमा दायर खाते आदि के आधार पर वर्गीकरण करना है। एक बार अनुपयोज्य आस्तियों का समुचित वर्गीकरण और अध्ययन हो जाने पर दल के प्रत्येक सदस्य को वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये जा सकते है। वसूली कार्य का आरम्भ पहले ऋण प्राप्तकर्ता को एक अनुस्मारक पत्र भेजकर किया जाना चाहिए ओर आवश्यकता पड़ने पर दूसरा अनुस्मारक पत्र भेजकर किया जाना चाहिये। यदि ऋण प्राप्तकर्ता अनुस्मारक पत्रों का जवाब नही देते तो उन्हें व्यक्तिगत रुप से मिलना चाहिये और किश्त अदा करने में उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछताछ करनी चाहिये। मामले की जॉच करने के बाद ऋणकर्ताओं की वास्तविक कठिनाइयों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। मामले की जॉच करने के बाद ऋणकर्ता की नकदीकरण स्थिति के अनुसार शाखा प्रबन्धक ऋण किश्तों का पुर्ननिर्धारण कर सकता है। समय–समय पर गारन्टीकर्ता और भारतीय निक्षेप बीमा निगम और प्रत्यय प्रत्याभूति निगम को वसूली मामलों की प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यदि शाखा के सारे प्रयास विफल होते है तो दायर किये गये दावों के निपटान के लिए डी.आई.सी.जी. से संपर्क किया जा सकता है, बकाया राशि पूर्णतया वसूल हो जाने पर वसूली प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसी तरह समझौता प्रस्ताव तय होने पर खाते बन्द किये जाते है। बैंक की देयतायें बट्टे खाते डालने पर भी वसूली कार्य समाप्त हो जाते है।

जनपद कानपुर देहात में कार्यरत् व्यावसायिक बैंकों का ऋण वसूली विश्लेषण :

जनपद कानपुर देहात में कार्यरत् व्यावसायिक बैंकों का ऋण वसूली का अध्ययन जनपद में कुल ऋण मॉग, ऋण वसूली एवं ऋण अग्रदेयता के आधार पर किया गया है। ये समंक 30 जून तक कुल ऋण वसूली एवं ऋण अग्रेदयता राशि से सम्बन्धित है।

1. ऋण वसूली समस्या के आन्तरिक कारण :

ऋण एजेन्सियों की दोषपूर्ण नीतियॉ और ऋण प्रक्रियायें ऋणकर्ता की पुनर्भुतान क्षमता को अत्याधिक प्रभावित करती है जैसे –

फसल ऋणों के अन्तर्गत निम्न तत्वों में दोषपूर्ण नीतियॉ और ऋण प्रक्रियायें प्रतिबिम्बित हुई है–

1. ऋणों की मंजूरी और वितरण में विलम्ब की वजह से किसानों को दूसरे स्रोतों से अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता है या प्राप्त ऋणों को दूसरे काम में लगाना पड़ता है।
2. अवास्तविक वित्तीय ऋणमान ओर आवश्यक/पुनर्भुगतान क्षमता से अधिक ऋणों को मंजूर करना या इसके विपरीत अपर्याप्त ऋण राशि प्रदान करना। इन स्थितियों में ऋणकर्ता ऋण का या तो दुरूपयोग करता है या साहूकारों से या अन्य अनौपचारिक ऋण स्रोतों से उसे और ऋण लेना पड़ता है।
3. कटाई और विपणन मौसमों से असम्बद्ध देय तिथियों का निर्धारण – यह एक सामान्य समय की बात है कि पुनर्भुगतान की देय तिथियॉ कृषि अर्थव्यवस्था की तरलता से मेल खाती है। यदि बैंकर ऋणकर्ता के पास फसल कटाई से पहले और समुचित दरों पर फसल के विपणन से पहले ही वसूली के लिए जाता है और यदि ऋणकर्ता ईमानदार और असहाय है तो उसे अपने उत्पादों की मजबूर बिक्री करनी पड़ती है। दूसरी ओर यदि बैंकर ऋणकर्ता के यहॉ फसल बेचने के काफी समय बाद जाता है, तो किसान अपनी बिक्री की राशि अन्य लम्बित जरूरी आवश्यकताओं के लिए खर्च कर लेता है। अतः बैंकर को देने के लिए किसान के पास ज्यादा पैसे नही बचते है।
4. मियादी ऋण के मामले में, क्षेत्र विशेष और ऋणकर्ता के लिए अनुपयुक्त योजनाओं का चयन उत्पाद की उत्पादन क्षमता को प्रभावित करती है। अतः इससे आय उत्पादन कम होता है। इन सबका परिणाम वसूली क्षमता को कम करता है। उदाहरणतया खुसरो समिति के क्षेत्रीय अध्ययनों से यह पता चलता है कि तमिलनाडु में जनजाति के ऐसे लोगों को ''मवेशी ऋण'' दिये गये हैं, जो दूध या अन्य प्रयोजनों हेतु परम्परागत पशुपालक नहीं थे।
5. पुनर्भुतान अनुसूची, किश्तों की राशि और भुगतान की नियत तिथियां, आदि जब ऋणकर्ताओं के निधि प्रवाह प्रक्रिया को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, तो कुछ मामले चूक में परिणित होते हैं। नावार्ड द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययनों ने विभिन्न प्रकार के निवेशों के पुनर्भुगतान के लिए सिफारिश अवधि और वास्तव में बैकिंग संस्थाओं द्वारा निर्धारित अवधि में व्यापक अन्तर का पता लगाया।
6. सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत लक्षित दृष्टिकोण पर अधिक महत्व तथा सहायता राशि ने योजना के आर्थिक महत्व को दूसरे स्थान पर बैठा दिया। इससे ऋण वितरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इसके परिणामस्वरूप वसूली कम होती है।
7. ऋणकर्ता के पुनर्भुगातन कार्य को प्रभावित करने वाला अन्य आर्थिक तथ्य है इकाई लागतों का कम निर्धारण ओर इकाई लागत से कम ऋण मंजूर करना। यह ऋणों को दुरूपयोग की ओर प्रवृत्त करता है। जिन निवेशों के मामले में आरम्भिक छूट की अवधि लम्बी होनी चाहिए उनके लिए अपर्याप्त प्रारम्भिक छूट अवधि निर्धारण भी कम वसूली कार्य निष्पादन का कारण है।
8. कार्यशील पूंजी प्रावधानों से निवेश ऋण का समुचित तालमेल नही होना भी अतिदेयता का महत्वपूर्ण कारण है। सहकारिता के क्षेत्र में सामान्यता ऐसी स्थितियॉ उत्पन्न होती हैं क्योकि कार्यशील पूंजी और निवेश ऋण दो अलग–अलग संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जाते है। उदाहरणतया प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां अधिकतर उत्पाद ऋण (अल्पकालीन ऋण) प्रदान करती हैं। जबकि भूमि विकास बैंक निवेश ऋण/मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं यघपि वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनो निवेश और कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करते हैं, इन दोनो के बीच उचित तालमेल का अभाव है। विपणन के साथ ऋण के संयोजन का अभाव भी पुनर्भुगतान निष्पादन पर असर डालता है। उपभोग व्यय के लिए संस्थागत ऋणों की अनुपलब्धता छोटे किसानों को उच्च दरों पर अनौचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए मजबूर करती है। ऐसे ऋणों की उच्च ब्याज दरें छोटे किसानों द्वारा संस्थागत ऋण एजेन्सियों के ऋण चुकाने की क्षमता को कम करती हैं। किसानों के दृष्टिकोण से देखा जाये तो यह एक व्यापारिक बोध का प्रतीक है कि उच्च ब्याज दरों के ऋणों को सबसे पहले चुकाना है अतः वे औपचारिक ऋण संस्थाओं से दिये गये सुलभ ऋणों की तुलना में निजी ऋणों को प्राथमिकता देते हैं।

9. निगरानी प्रबन्ध में कमियों के कारण ऋण प्रस्ताव का अनुसूचित मूल्यांकन और आवश्यकता से कम या अधिक वित्त पोषण की स्थिति आती है। ऋण एजेन्सी की यह सफलता वितरण के बाद अनुप्रर्वतन की समस्या बन जाती है और सामान्यता अतिदेय ऋण के रूप में परिणित हो जाती है।

स्मरणीय बात यह है कि आन्तरिक तत्व बहुधा ऋण एजेन्सियों के नियन्त्रण में रहते है। अतएव वे पद्धति और प्रक्रिया में समुचित सुधार लाकर तथा दूसरी ओर कर्मचारी और प्रबन्धतन्त्र की कार्यशैली में सुधार लाकर उन्हें ठीक किया जा सकता है।

2. ऋण वसूली समस्या के बाह्य कारण :

कृषि अर्थव्यवस्था के विशिष्ट तत्व जैसे अधिक ऋणकर्ताओं का छोटे आकार की जोत, कृषि योग्य अधिकांश भूमि का अंसिचित होना, कृषि परिचालन की अव्यवहारिकता को बढाती है। अतः वे समय पर ऋण चुकाने में किसानों की क्षमता को कम करते हैं।

सूखा, बाढ़ और कृषि जैसी प्राकृतिक आपदायें पर्याप्त हानि पहुंचाती है वे ऋण कर्ताओं की भुगतान क्षमता को नष्ट करती हैं और ऐसी परिणित चूके ऋण व्यवस्था को अवरूद्ध करती है। एक और ऋण एजेन्सियों के बकायों की वसूली और दूसरी और कृषि उत्पाद के हित, विगत कुछ वर्षों से समस्या बन गयी है। प्राकृतिक आपदाओं की बारम्बार पुर्नवृत्ति के कारण इस समस्या को हल करने के लिए, किसानों को या ऋण एजेन्सियों को राहत के रूप में दिये गये ऋण भुगतानों के पुनर्निर्धारण प्रयास अपर्याप्त रहें।

दीर्घकालीन दुष्परिणामों पर ध्यान देते हुए संकुचित राजनैतिक उपलब्धियों के लिए वित्तीय संस्थाओं के कार्य में हस्तक्षेप का भी वसूली कार्य पर बुरा असर रहा। वास्तव में ऋण व्यवस्था में बढ़ता राजनीतिकरण ग्रामीण जनता को दी जाने वाली संस्थागत ऋण प्रक्रिया को अवश्य प्रभावित करता है। ऋण मेलाओं के रूप में लोकप्रिय जनसाधारण कार्यक्रमों में ऋणों की मंजूरी और राजनैतिक नेताओं द्वारा उनका वितरण, राजनैतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं को प्रलोभित करने, अपने चुनाव घोषणापत्रों में कृषि देयताओं को बट्टे खाते में डालने के वादे इत्यादि ऋण व्यवस्था में बढ़ते राजनैतिक हस्तक्षेप के ज्वलन्त उदाहरण हैं। ऋणकर्ता अक्सर संस्थागत ऋणों को सरकार द्वारा प्रदान किये गये अनुदान और आर्थिक सहायता के समकक्ष मॉग लेते हैं।

बैंक ऋण वसूली सम्बन्धी निष्कर्ष :–

1. जनपद के व्यावसायिक बैंकों ने यघपि यह प्रयास किया है कि उनके द्वारा दिये गये ऋण समझौता अवधि के भीतर ही ऋणियों द्वारा चुका दिये जायें ताकि बैंकों की लाभप्रदत्ता तथा कोषो के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा साथ ही ऋणी की उत्पादकता और पुनः ऋण लेने की योग्यता भी सुरक्षित रहे, किन्तु इसमें अल्प सफलता ही हाथ लगी है।
2. व्यावासायिक बैकों ने आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालीन ऋणों को मध्य कालीन ऋण में और मध्यमकालीन ऋण को दीर्घकालीन ऋणों में भी परिवर्तित किया है किन्तु सम्बन्धित अवधि के भीतर ऋणों का भुगतान निश्चित रूप से प्राप्त करने की नीति अपनाई है।

सन्दर्भ :–

- ग्रामीण आयोजन और ऋण विभाग– भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।
- सांख्यिकीय पत्रिका–2002 सांख्यिकीय विभाग जनपद कानपुर देहात
- Review of Current Banking Theory and Practice - S.K. Basu
- Hand book of Statistics on the Indian Economy - Rescrve Bank of India
- Service Area Credit Plan - Bank of Baroda, Kanpur
- Consolidated Guidelines on Differntial Rate of interest Scheme -Published by Punjab National Bank, New Delhi
- The Economic Timesof India- New Delhi
- w.w.w. in Kanpur.com (Kanpur city web)